वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 11

वाणिज्य विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	833.27	2280.21	3113.48	997.01	2300.05	3297.06	997.01	4994.12	5991.13	1069.02	4511.58	5580.60
	पूंजी	***566.50***	...	*566.50*	*682.99*	...	*682.99*	*682.99*	...	*682.99*	*930.98*	...	*930.98*
	जोड़	**1399.77**	**2280.21**	**3679.98**	**1680.00**	**2300.05**	**3980.05**	**1680.00**	**4994.12**	**6674.12**	**2000.00**	**4511.58**	**6511.58**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	0.19	57.28	57.47	5.00	57.30	62.30	5.00	60.73	65.73	5.00	63.47	68.47
विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन													
2. व्यापार आयुक्त	3453	...	98.72	98.72	...	100.60	100.60	...	106.22	106.22	...	110.81	110.81
3. विदेश व्यापार महानिदेशक	3453	...	77.08	77.08	...	63.00	63.00	...	79.00	79.00	...	83.32	83.32
4. निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता													
4.01 निर्यात सब्सिडी	3453	...	1528.27	1528.27	...	1527.55	1527.55	...	3527.55	3527.55	...	3000.00	3000.00
4.02 बैकों को ब्याज सब्सिडी	3453	...	200.00	200.00	...	250.00	250.00	...	654.00	654.00	...	1000.00	1000.00
4.03 निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास संगठन को सहायता-अनुदान	3453	...	53.00	53.00	...	56.00	56.00	...	56.00	56.00	...	50.00	50.00
जोड़- निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता		...	*1781.27*	*1781.27*	...	*1833.55*	*1833.55*	...	*4237.55*	*4237.55*	...	*4050.00*	*4050.00*
5. मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास													
5.01 कांडला-एसईजेड	3453	...	9.48	9.48	...	8.49	8.49	...	11.47	11.47	...	9.81	9.81
5.02 इलेक्ट्रोनिक्स (एसईईपीजेड)-एसईजेड	3453	...	8.58	8.58	...	8.02	8.02	...	8.55	8.55	...	6.66	6.66
5.03 फाल्टा	3453	...	4.18	4.18	...	4.05	4.05	...	4.06	4.06	...	3.75	3.75
5.04 चेन्नई	3453	...	6.36	6.36	...	5.87	5.87	...	5.22	5.22	...	5.53	5.53
5.05 कोचीन-एसईजेड	3453	...	4.93	4.93	...	5.61	5.61	...	6.27	6.27	...	6.30	6.30
5.06 नोएडा	3453	...	6.82	6.82	...	6.67	6.67	...	7.22	7.22	...	6.30	6.30
5.07 विशाखापत्तनम	3453	...	4.05	4.05	...	4.78	4.78	...	5.23	5.23	...	4.60	4.60
5.08 इंदौर-एसईजेड	3453	...	0.97	0.97	...	0.77	0.77	...	1.12	1.12	...	1.15	1.15
5.09 जयपुर-एसईजेड	3453	...	0.44	0.44	...	0.47	0.47	...	0.54	0.54	...	0.57	0.57
5.10 मनीकंचन-एसईजेड (कोलकाता)	3453	...	0.59	0.59	...	0.64	0.64	...	0.70	0.70	...	0.72	0.72
5.11 मुरादाबाद-एसईजेड	3453	...	0.32	0.32	...	0.31	0.31	...	0.36	0.36	...	0.37	0.37
5.12 [illegible]-एसईजेड	3453	...	0.15	0.15	...	0.46	0.46	...	0.37	0.37	...	0.48	0.48

http://indiabudget.nic.in

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2011-2012 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5.13 जोधपुर-एसईजेड	3453	...	0.31	0.31	...	0.39	0.39	...	0.44	0.44	...	0.46	0.46
5.14 सूरत-एसईजेड	3453	...	0.31	0.31	...	0.25	0.25	...	0.43	0.43	...	0.46	0.46
5.15 ईसीजीसी में निवेश	5465	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
5.16 राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता	3453	190.00	...	190.00	150.00	...	150.00	150.00	...	150.00	0.01	...	0.01
जोड़- मुक्त व्यापार/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों/विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विकास		*190.00*	*47.49*	*237.49*	*150.01*	*46.78*	*196.79*	*150.01*	*51.98*	*201.99*	*0.02*	*47.16*	*47.18*
6. कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	119.50	0.50	120.00	150.00	2.00	152.00	150.00	2.00	152.00	180.00	1.00	181.00
7. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण	3453	90.50	5.00	95.50	90.00	7.00	97.00	90.00	7.00	97.00	110.00	5.00	115.00
8. विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं													
8.01 वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय	3453	...	19.44	19.44	...	19.88	19.88	...	22.96	22.96	...	23.96	23.96
8.02 निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण													
8.02.01 निर्यात निरीक्षण परिषद	3453	9.00	...	9.00	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	8.00	...	8.00
8.02.02 बाजार सुलभता पहल-निर्यात अध्ययन	3453	63.70	...	63.70	125.00	...	125.00	110.00	...	110.00	150.00	...	150.00
8.02.03 डब्ल्यूटीओ अध्ययन केन्द्र	3453	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	5.00	...	5.00
8.02.04 संस्थाओं को सहायता	3453	9.68	...	9.68	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	56.00	...	56.00
8.02.05 आधुनिकीकरण और उन्नयन	3453	3.95	...	3.95	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
	5453	25.50	...	25.50	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	65.01	...	65.01
	जोड़	*29.45*	*...*	*29.45*	*10.00*	*...*	*10.00*	*10.00*	*...*	*10.00*	*75.01*	*...*	*75.01*
8.02.06 फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान	3453	4.00	...	4.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	1.00	...	1.00
जोड़- निर्यात संवर्धन गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण		*117.83*	*...*	*117.83*	*157.00*	*...*	*157.00*	*142.00*	*...*	*142.00*	*295.01*	*...*	*295.01*
8.03 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	3453	...	9.14	9.14	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00
8.04 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	3453	...	1.66	1.66	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	0.50	0.50
8.05 निर्यात अवसंरचना और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के विकास के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता योजना	5453	570.00	...	570.00	623.98	...	623.98	623.98	...	623.98	790.96	...	790.96
8.06 अन्य	3453	...	0.80	0.80	...	1.62	1.62	...	1.62	1.62	...	1.40	1.40
जोड़- विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन की अन्य योजनाएं		*687.83*	*31.04*	*718.87*	*780.98*	*42.50*	*823.48*	*765.98*	*45.58*	*811.56*	*1085.97*	*45.86*	*1131.83*
जोड़-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन		**1087.83**	**2041.10**	**3128.93**	**1170.99**	**2095.43**	**3266.42**	**1155.99**	**4529.33**	**5685.32**	**1375.99**	**4343.15**	**5719.14**
बागान													
9. सामग्री बोर्ड													
9.01 चाय बोर्ड													
9.01.01 कार्यक्रम संघटक	2407	114.50	25.00	139.50	43.00	27.00	70.00	58.00	27.00	85.00	75.00	9.10	84.10
	4407	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़	*129.50*	*25.00*	*154.50*	*58.00*	*27.00*	*85.00*	*73.00*	*27.00*	*100.00*	*90.00*	*9.10*	*99.10*
9.01.02 ईएपी संघटक	2407	3.50	...	3.50	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- चाय बोर्ड		*133.00*	*25.00*	*158.00*	*58.00*	*27.00*	*85.00*	*73.00*	*27.00*	*100.00*	*90.00*	*9.10*	*99.10*
9.02 रबड़ बोर्ड	2407	128.00	15.00	143.00	120.00	20.00	140.00	120.00	20.00	140.00	135.50	6.74	142.24
9.03 कॉफी बोर्ड	2407	76.49	77.27	153.76	76.00	22.00	98.00	76.00	263.00	339.00	99.50	7.41	106.91
9.04 मसाला बोर्ड	2407	62.00	2.00	64.00	77.00	4.00	81.00	77.00	4.00	81.00	90.00	1.35	91.35
9.05 काजू निर्यात संवर्धन परिषद	2407	5.00	...	5.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- सामग्री बोर्ड		*404.49*	*119.27*	*523.76*	*331.00*	*73.00*	*404.00*	*346.00*	*314.00*	*660.00*	*415.00*	*24.60*	*439.60*
10. फसल बीमा	2407	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
बागानों की अन्य योजनाएं													
11. बागानों की अन्य योजनाएं													
11.01 मूल्य स्थिरीकरण निधि	2407	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05	...	0.32	0.32	...	0.13	0.13
11.02 पीएसएफ न्यास को भुगतान मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना													
11.02.01 से	2407	...	3.11	3.11	...	4.50	4.50	...	3.82	3.82	...	4.50	4.50
11.02.02 को	2407	...	-3.11	-3.11	...	-4.50	-4.50	...	-3.82	-3.82	...	-4.50	-4.50
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.03 चाय क्षेत्र के लिए विकास निधि -चाय बोर्ड को भुगतान													
11.03.01 से	2407	4.06	...	4.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11.03.02 को	2407	-4.06	...	-4.06	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	कुल	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- बागानों की अन्य योजनाएं		...	*0.05*	*0.05*	...	*0.05*	*0.05*	...	*0.32*	*0.32*	...	*0.13*	*0.13*
जोड़-बागान		**404.49**	**119.32**	**523.81**	**331.01**	**73.05**	**404.06**	**346.01**	**314.32**	**660.33**	**415.01**	**24.73**	**439.74**
12. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान													
12.01 अवसंरचना एवं अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के विकास हेतु राज्यों को सहायता स्कीम	4552	...	...	...	39.00	...	39.00	39.00	...	39.00	60.00	...	60.00
12.02 चाय बोर्ड	2552	...	...	...	87.00	...	87.00	87.00	...	87.00	90.00	...	90.00
12.03 रबड़ बोर्ड	2552	...	...	...	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	34.50	...	34.50
12.04 कॉफी बोर्ड	2552	...	...	...	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	5.50	...	5.50
12.05 मसाला बोर्ड	2552	...	...	...	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	10.00	...	10.00
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान		...	...	...	*168.00*	...	*168.00*	*168.00*	...	*168.00*	*200.00*	...	*200.00*
13. आपूर्ति और निपटान													

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2009-2010			बजट 2010-2011			संशोधित 2010-2011			बजट 2011-2012		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
13.01 डीजीएसएन्डडी	2057	...	77.91	77.91	...	74.27	74.27	...	89.74	89.74	...	80.23	80.23
13.02 डीजीएस एन्ड डी में कम्प्यूटरीकरण	2057	3.53	...	3.53	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
जोड़- आपूर्ति और निपटान		*3.53*	*77.91*	*81.44*	*5.00*	*74.27*	*79.27*	*5.00*	*89.74*	*94.74*	*4.00*	*80.23*	*84.23*
14. वास्तविक वसूलियां	2407	-14.05	-0.78	-14.83	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3453	-38.22	-14.62	-52.84	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	5453	-44.00	...	-44.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-96.27*	*-15.40*	*-111.67*	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***1399.77***	***2280.21***	***3679.98***	***1680.00***	***2300.05***	***3980.05***	***1680.00***	***4994.12***	***6674.12***	***2000.00***	***4511.58***	***6511.58***
	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. निर्यात ऋण और गारंटी निगम	13453	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01
जोड़		**...**	**...**	**...**	**0.01**	**...**	**0.01**	**0.01**	**...**	**0.01**	**0.01**	**...**	**0.01**
ग. योजना परिव्यय													
1. सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	13451	0.19	...	0.19	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
2. विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्धन	13453	1005.61	...	1005.61	1170.99	...	1170.99	1155.99	...	1155.99	1375.99	...	1375.99
3. वृक्षा रोपण	12407	390.44	...	390.44	331.01	...	331.01	346.01	...	346.01	415.01	...	415.01
4. पूर्ति तथा निपटान	32057	3.53	...	3.53	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	4.00	...	4.00
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	168.00	...	168.00	168.00	...	168.00	200.00	...	200.00
जोड़		**1399.77**	**...**	**1399.77**	**1680.00**	**...**	**1680.00**	**1680.00**	**...**	**1680.00**	**2000.00**	**...**	**2000.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** विभाग विदेश व्यापार संबंधी नीतियां तैयार करता है। इसके दायित्व में बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय वाणिज्यिक संबंधों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्द्धन उपाय एवं निर्यातोन्मुख उद्योगों एवं वस्तुओं के विकास एवं विनियमन से संबंधित मामले शामिल हैं। यह प्रावधान विभाग के सचिवालयी व्यय के लिए है।

2. **व्यापार आयुक्त:** विदेश स्थित भारतीय मिशनों के कार्यरत 106 वाणिज्यिक कार्यालय हैं। विदेश स्थित वाणिज्यिक कार्यालय संस्थागत ढांचा प्रदान करत हैं और वे विश्व के साथ भारत के व्यापार एवं आर्थिक आदान-प्रदान का संवर्धन करने के लिए होते हैं। इन स्कधों का प्राथमिक कार्य वैश्विक बाजार की प्रवृत्तियों, व्यापारिक कार्यकलापों से सबंधित पूरक सूचना के जरिए व्यापारिक एवं आर्थिक नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना है। यह प्रावधान इन वाणिज्यिक कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु है।

http://indiabudget.nic.in

3. **विदेश व्यापार महानिदेशालय:** यह प्रावधान प्रशासनिक व्यय के लिए है। इस निदेशालय का दायित्व निर्यातों के संवर्धन हेतु विदेशा व्यापार नीति कार्यान्वित करना है। यह विभिन्न शुल्क निष्प्रभावीकरण स्कीमों के कार्यान्वयन एवं निर्यात दायित्वों की निगरानी आदि से संबंधित कार्य भी देखता है।

4. **निर्यात संवर्धन एवं बाजार विकास हेतु सहायता:** यह प्रावधान माने गए निर्यात संबंधी लाभों (शुल्क प्राप्ति अदायगी तथा अन्तिम उत्पाद शुल्क की वापसी) के लिए है। इस प्रावधान में निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य संस्थानों को "फोकस एल ए सी ", "फोकस अफ्रीका ", "फोकस आसियान 2" तथा "फोकस सीआईएस " कार्यक्रमों आदि जैसी विशिष्ट निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए अनुदानों का भुगतान भी शामिल है।

5. **मुक्त व्यापार/विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड्स) का विकास:** यह प्रावधान मुख्यत: घरेलू टैरिफ क्षेत्रों से अलग अंत: क्षेत्रों के रूप में स्थापित विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड्स) के प्रशासनिक व्यय के लिए है जिनका उद्देश्य निर्यात संवर्धन के लिए शुल्क मुक्त वातावरण उलब्ध कराना है। विशेष आर्थिक जोन, उक्त जोन के भीतर स्थित निर्यातोन्मुख इकाइयों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार है।

5.15. **भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) में निवेश:** निगम का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को वाणिज्यिक या राजनीतिक कारणों की वजह से निर्यात आय की प्राप्ति न होने के जोखिम के लिए विभिन्न प्रकार की बीमा सुरक्षा प्रदान करना और बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्यातकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम बनाने हेतु विभिन्न प्रकार की गारंटीयां प्रदान कर देश के निर्यातों को सहायता प्रदान करना है।

5.16. **भारतीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए):** राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) से ऐसी परियोजनाओं एवं अन्य उच्च मूल्य वाले निर्यातों के लिए ऋण जोखिम सुरक्षा की राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) से ऐसी परियोजनाओं एवं अन्य उच्च मूल्य वाले निर्यातों के लिए ऋण जोखिम सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित होगी जो राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से वांछनीय है। सामान्य बीमा निगम (राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता) या किसी अन्य पुनर्बीमाकर्ता से उपलब्ध पुनर्बीमा की सीमा तक (एनईआईए) कोई सहायता नहीं मांगी जाएगी। यदि पुनर्बीमा किसी परियोजना के लिए केवल आंशिक रूप से उपलब्ध है तो निधि से सहायता केवल उसी भाग के लिए मांगी जाएगी जिसे पुनर्बीमा द्वारा कवर नहीं किया गया है।

6. **कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात (एपीडा):** एपीडा की स्थापना 1986 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह प्रावधान कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातों के विकास एवं संवर्धन हेतु एपीडा को भुगतान करने के लिए है।

7. **समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण (एम्पीडा):** एम्पीडा की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी और वह निर्यातों, अपतटीय एवं गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विनियमन तथा मत्स्यन जलपोतों, प्रसंस्करण संयंत्रों, निर्यातकों के पंजीकरण के विशेष संदर्भ में समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए जिम्मेवार है। यह प्रावधान एम्पीडा के प्रशासनिक, विकास और संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए है।

8.01. **वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय:** यह निदेशालय विदेशी, अंतर्देशीय और अनुषांगी व्यापार सांख्यिकी के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन के लिए तथा वाणिज्यिक सूचना के प्रसार के लिए जिम्मेवार है। यह निदेशालय व्यापार सांख्यिकी का प्रकाशन करता है जिसमे विविध प्रकार के प्रकाशन होते हैं। डीजीसीआई एण्ड एस के पास व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों, अनुसंधानकर्ताओं, सरकारी एवं अर्ध सरकारी एजेंसियों आदि के उपयोग हेतु एक वाणिज्यिक पुस्तकालय है।

8.02.01. **निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी):** ईआईसी की स्थापना निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा (3) के अन्तर्गत की गई थी। ईआईसी के प्रमुख कार्य निर्यात हेतु वस्तुओं के गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण में सुधार के लिए किए जाने वाले उपायों में केन्द्र सरकार को सलाह देना है। यह प्रावधान योजनागत स्कीमों अर्थात "निर्यात संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण, मानव संसाधन विकास और ईआईसी/ईआईए की प्रयोगशालाओं के लिए भवन " के कार्यान्वियन के लिए है।

8.02.02. **बाजार पहुंच पहल (एम ए आई):** यह स्कीम नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में लागू की गई थी तथा भारत से किए जाने वाले निर्यातों के सतत धारणीय आधार पर संवर्धन हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए संशोधित स्कीम दिसम्बर, 2003 में सरकार द्वारा अनुमोदित की गई थी। यह बाजार एवं उत्पाद विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण के लिए विशिष्ट कार्यनीति बनाने के लिए तैयार की गई है।

8.02.03. **डब्ल्यू टी ओ अध्ययन केन्द्र:** इस केन्द्र की स्थापना विश्व व्यापार संगठन के जुड़े सभी विषयों पर निरंतर अनुसंधान करने एवं विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। यह सहायता केन्द्र के प्रचालन व्यय के लिए है।

8.02.04. **संस्थानों की सहायता:** यह प्रावधान भारतीय विदेश व्यापार संस्थान तथा भारतीय पैकेजिंग संस्थान के व्यय के लिए है जो सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्रीय क्षेत्र की योजना स्कीमों का कार्यान्वित करते हैं।

8.02.05. **आधुनिकीकरण एवं उन्नयन:** इस स्कीम में डीजीएफटी में कम्प्यूटरों के उन्नयन और कोलकाता स्थित डीजीसीआई एंड एस के लिए कोलकाता में कार्यालय भवन के निर्माण का प्रावधान है। इसके अलावा नोएडा स्थित फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान तथा आईटीएस के नए भवन भी निर्माणधीन है।

8.02.06. **फुटवियर डिजाइन एवं विकास संस्थान (एफडीडीआई):** यह सहायता मुख्यत: समेकित प्रदर्शन केन्द्र के निर्माण के लिए है।

8.03. **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान:** सरकार विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र, सामान्य वस्तु निधि आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्य है। यह प्रावधान इन संगठनों हेतु अंशदान के प्रयोजनार्थ है।

8.05. **निर्यात अवसंरचना के विकास एवं संबद्ध कार्याकलापों हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) संबंधी स्कीम:** यह स्कीम मार्च, 2002 में शुरूं की गई थी। इस स्कीम के परिव्यय के दो संघटक हैं। 80 प्रतिशत निधियां राज्यों को आबंटन के लिए निर्दिष्ट की जाती है। शेष 20 प्रतिशत को अंतर्राज्यीय परियोजनाओं अथवा क्षेत्रीय या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में केन्द्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समझे गए अन्य कार्यकलाप की जरूरत को पूरा करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर रखा जाता है। इसमें अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 60 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान शामिल है।

8.06. **अन्य:** इसमें अंतराष्ट्रीय सम्मेलनों हेतु व्यय तथा विदेशी प्रतिनिधिमंडलों से संबंधित व्यय शामिल है।

9.01. **चाय बोर्ड:** चाय बोर्ड की स्थापना चाय अधिनयम, 1953 के अधीन की गयी थी। चाय बोर्ड के प्राथमिक कार्य कृषि, विनिर्माण, निर्यात संवर्धन एवं चाय के उत्पादन को बढ़ाने और चाय की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलापों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इसमें अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 60 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान शामिल है।

9.02. **रबड़ बोर्ड:** रबड़ बोर्ड की स्थापना रबड़ बोर्ड अधिनियम, 1947 के अधीन की गयी थी। बोर्ड के प्राथमिक कार्य वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान के संवर्धन, विकास और प्रोत्साहन, रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह देने, रोपण,

खेती, प्रबंधन एवं आंकड़ों के संग्रहण के उन्नत तरीकों में उत्पादकों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है । इसमें अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 5 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान शामिल है।

9.03. **कॉफी बोर्ड:** कॉफी बोर्ड की स्थापना कॉफी अधिनियम, 1942 के अधीन की गयी थी । बोर्ड के प्रमुख कार्य कॉफी उद्योग की वृद्धि और विकास हेतु कार्यकम और परियोजनाएं चलाने, कॉफी निर्यात का संवर्धन करने, उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान एवं विकास कार्यकलाप करने, पद्धतियों के उचित पैकेज के साथ कॉफी की कीटप्रतिरोधी किस्में तैयार करने और कॉफी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उपायों से संबंधित है । इसमें अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 5 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान शामिल है।

9.04. **मसाला बोर्ड:** मसाला बोर्ड की स्थापना मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा (1) के तहत की गई थी । बोर्ड के प्राथमिक कार्य मसालों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने, नई किस्में तैयार करने के लिए चयन/संकरण के जरिए फसल सुधार, इनहाऊंस प्रयोगशालाएं स्थापित करने में निर्यातकों को सहायता प्रदान करने में और निर्यातकों को सहायता प्रदान करने में और मसालों से संबंधित राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को तैयार करने हेतु सरकार की सहायता करने से संबंधित है । इसमें अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 5 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान शामिल है।

10. **फसल बीमा:** यह नई योजना है तथा इसमें चाय, रबड़, कॉफी और मसालों जैसी बागान फसलों का बीमा किया जाना परिकल्पित है ।

11.01. **कीमत स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ):** सरकार ने 500 करोड़ रूंपए की संग्रह निधि से चाय, कॉफी, रबड़ और तम्बामू के 3.42 लाख उत्पादकों के लाभार्थ कीमत स्थिरीकरण निधि का गठन किया है । पीएसएफ का उद्देश्य इन वस्तुओं की कीमतें एक निर्दिष्ट स्तर से कम हो जाने की स्थिति में सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद कार्य की प्रक्रिया का सहारा लिए बिना उत्पादकों को राहत प्रदान करना है ।

12. **पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्कित हेतु एकमुश्त प्रावधान:** यह प्रावधान सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तंर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभार्थ परियोजनाओं/स्कीमों के लिए किया गया है ।

13. **पूर्ति एवं निपटान (डीजीएसएंडडी):** यह निदेशालय सामान्यक प्रयोक्ता मदों के लिए दर संविदाओं को अंतिम रूप प्रदान करने, भंडारों की खरीद, निरीक्षण, पोत लदान और निकासी के लिए है । यह प्रावधान पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय के लिए है ।